165

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता

लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,अम्बिकापुर (छ.ग.)

ई.मेल.nh43exen@rediffmail.com

चेक लिस्ट क. 28

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

संलग्न है।

बृजेश पटोरिया
कार्यपालन अभियन्ता
लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
अम्बिकापुर (छ.ग.)

विवेकानंद झा (भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
बलरामपुर वन मण्डल
बलरामपुर (छ.ग.)

275

''प्रदर्श–अ''

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक **343(110.000किमी.)** चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु कुल **बुढाबगीचा** ग्राम के खसरा नंबर 3/1 (0.093हे0) कुल **राजस्व वन भूमि** 0.093 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम **बुढाबगीचा** स्थित आरक्षित/संरक्षित **वन भूमि** कक्ष क्र. PF2766 स्थित 1.297 हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया हैं।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक **27/07/2021** को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया ।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता हैं।

5. स्थल निरीक्षक के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी. टी.जी.) के सदस्य हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत् नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचातलित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

27/8/21

वन परिक्षेत्राधिकारी राजपुर जिला-बलरामपुर-रा.गंज	तहसीलदार राजपुर जिला–बलरामपुर–रा.गंज	अनुविभागीय अधिकारी (रा0) राजपुर जिला–बलरामपुर–रा.गंज

ग्राम सभा की बैठक का कार्यवाही विवरण

ग्राम कुदरगीया

स्थान ~~सेवास्थल~~ भवन कुदरगीया

दिनांक 27/07/2021

आज दिनांक 27/07/2021 को ग्राम कुदरगीया के सरपंच श्री/श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ______ सदस्य 70% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई-

1. ग्राम कुदरगीया में आवेदक NH-PWD ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु NIL हे० वन भूमि 1.297 हे०, राजस्व वन भूमि, कुल 0.093 हे० वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि रोड निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवस या अन्य परंपारिक गतिविधि नहीं सम्पादित कर रहें हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र०	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे०में)
	——	——	——

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ______ हे० में वन भूमि/ ______ हे० राजस्व वन भूमि, कुल योग ______ हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स ______ (आवेदक) NH-PWD. को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

नोट:- ग्रामसभा बैठक दिनांक 27/08/2021 के प्रस्ताव क्रमांक - 01 में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है। राजस्व वन भूमि खसरा नं० 3/1 (~~खसरा नं०~~) रकबा 0.093 अनुमोदित है।

हस्ताक्षर ______

नाम ______

सरपंच ______

सील

सरपंच ग्राम पंचायत - कुदरगीया जनपद पंचायत-रामपुर जिला-बलरामपुर-रा.गंज(छ0ग0)

सचिव ग्राम पंचायत-कुदरगीया जनपद पंचायत-रामपुर जिला-बलरामपुर-रा.गंज(छ0ग0)

उपस्थित सदस्यगण

क्रमांक नाम हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(1) जयप्रकाश [signature]
(2) अंकुर गुप्ता Ankur
(3) अनिल सिंह
(4) शिव प्रसाद
(5) रामलोचन
(6) मनोज मुंडा
(7) सरोज
(8) आलोक
(9) संदीप
(10) निशांत

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

...के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

ग्राम सभा कार्यवृत्त अभिलेख

ग्राम सभा का नाम : Budhi bagicha

पंचायत का नाम : Panchayat - Chadwa

उपस्थित सदस्यों की संख्या : 69

बैठक की तिथि : 24/05/2021 बैठक का समय : 12.10 AM.

क्र.	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	सम्मिलित के कार्यवृत्त
	(1)	(1)
	[illegible]	[illegible] 2021 [illegible]

अनुमोदित

ग्राम सभा अध्यक्ष

सत्यप्रतिलिपि

Budhibagicha ता. 24/05/2021.

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं मुहर

विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच का कार्यक्रम विवरण

169 70

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक **343(110.000किमी.)** चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वन भूमि (छोटे/वड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु कुल **बासेन** ग्राम के खसरा नंबर 176/18 (0.634हे0), 40/198 (0.564हे0), 81/2,81/307/1,81/307/2 (0.271हे0) **कुल राजस्व वन भूमि** 1.469 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम **बासेन** स्थित आरक्षित/संरक्षित **वन भूमि** कक्ष क्र. **PF2805**(4.288हे0),**PF2804**(6.659हे0) स्थित **10.947** हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण्–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया हैं।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक **07/08/2021** को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया।

3. वन भूमि के उक्त परियोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता हैं।

5. स्थल निरीक्षक के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत् नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से संरक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

वन परिक्षेत्राधिकारी राजपुर– जिला–बलरामपुर–रा.गंज वन परिक्षेत्राधिकारी राजपुर	तहसीलदार राजपुर तहसीलदार जिला–बलरामपुर–रा.गंज जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)	अनुविभागीय अधिकारी (रा0) राजपुर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिला–बलरामपुर–रा.गंज जिला- बलरामपुर (छ.ग.)

170

विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन
का कार्यवाही विवरण

ग्राम बारसेन
स्थान पंचायत भवन

दिनांक 7/08/2021

आज दिनांक 7/08/2021 को ग्राम बारसेन के सरपंच श्री/श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के — सदस्य 56, प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई–

1. ग्राम बारसेन में आवेदक NH-PWD ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु Nil हे0 वन भूमि 10.947 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 1.469 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि रोड निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवस या अन्य परंपारिक गतिविधि नहीं सम्पादित कर रहें हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है–

क्र0	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
	—	—	—

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि — हे0 में वन भूमि/ — हे0 राजस्व वन भूमि, कुल योग — हे0 वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स — (आवेदक) NH-PWD को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावें।

सरपंच
ग्राम पंचायत-जिगड़ी
जनपद पंचायत- रीजपुर
जिला-[illegible] (म.प्र.)

ग्राम सभा बैठक दिनांक 7/08/2021 के प्रस्ताव क्रमांक 2 में ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित किया गया है। राजस्व वन भूमि (खसरा नं. 176/18, 170/198, 81/2, 881/307/1, 881/307/2 अनुमोदित है।

सरपंच
सील

उपस्थित सदस्यगण
क्रमांक नाम हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान

सचिव
[illegible]

(1) [illegible] [signature]
(2) रामदेव रामतिवारी [signature]
(3) अजीम
(4) [illegible]
(5) [signature]
(6) [signature]
(7) [signature]
(8) [illegible]
(9) [illegible]
(10) [illegible]

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

प्र० निदन-13)

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

ग्राम सभा के कार्यवृत्त अभिलेख

पंचायत का नाम जिगड़ी

सम्मिलन का स्थान पंचायत भवन में

3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 56

4. सम्मिलन की तारीख 07.08.2021 5. सम्मिलन का समय 12 बजे से

ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)		सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
		कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बलरामपुर रा.गं. (छ.ग.) पत्र क्रमांक/339/वन अधिकार आ.वि. बलरामपुर 17.11.2020 एवं मा. क्रमांक 343 (रा.जि.मा.) चौड़ीकरण, उन्नयनीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत राजस्व वन भूमि (छोटे, बड़े झाड़ जंगल) 15.003 हेक्टेयर एवं वन भूमि (संरक्षित, आरक्षित) 139.585 हेक्टेयर कुल 154.588 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ग्राम पंचायत जिगड़ी ग्राम शासन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें श्री रूपसाय को सर्व समिति से अध्यक्ष बनाया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से आगे की कार्यवाही प्रारंभ किया गया।
प्रस्ताव क्रमांक 1	ग्राम सभा में रखा गया का पट्टा नहीं भूमि पड़ रहा है।	बैठक में वन भूमि कब्जा पर चर्चा किया गया। चर्चा में क्रि.मी. P.W.D. सड़क में किसी व्यक्ति का वन अधिकार पड़ रहा है। शासकीय भूमि खसरा नं. 176/18, 40/198, 2 81/2881/307/1581/307/2 रकबा 0.634, 0.564, 0.271 कुल 1.469 रहा है।
	उपरोक्त उक्त कोई आपत्ति	जिसमें उपस्थित सदस्यों के आपसी विचार विमर्श खसरा नं. में सड़क चौड़ीकरण करने से ग्राम पंचायत को नहीं है।
प्रस्ताव क्रमांक 2	ग्राम सभा में रा. राज्य किया गया	बैठक में चर्चा किया गया कि ग्राम पंचायत जिगड़ी ग्राम वासिन मार्ग 343 शासन द्वारा रोड निर्माण करने हेतु प्रस्तावित है।
	रा. राज्य का प्रस्ताव सर्व	उपस्थित सदस्यों के द्वारा आपस में विचार विमर्श कर मार्ग क्रमांक 343 शासन में रोड निर्माण बनाये जाने का सहमति से पारित किया गया।
	सदस्य प्रतिलिपी संलग्न।	

सचिव
ग्राम पंचायत-जिगड़ी
जनपद पंचायत- रामानुजगंज
जिला-बलरामपुर

सरपंच
ग्राम पंचायत-जिगड़ी
जनपद पंचायत- राजपुर
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

172

प्रमाणित किया जाता है कि अम्बिकापुर से रामानुजगंज N.H-343 सड़क निर्माण कार्य किया जाना है। N.H 343 सड़क निर्माण कार्य करने में ग्राम पंचायत जिगड़ी ग्राम शासन को शासकीय भूमि ख.न. 176/18 40/198 81/28 81/307/1 581/307/2 रकबा 0.634, 0.564 0.271 कुल रकबा 1.469 भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया उपरोक्त अनुसार N H-343 सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य में किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

सरपंच
ग्राम पंचायत-जिगड़ी
जनपद पंचायत- राजपुर
जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)

173

"प्रदर्श—अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343(110.000किमी.) चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वन भूमि (छोटे / बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु कुल डकवा ग्राम के खसरा नंबर 89/66 (0.018हे0) कुल राजस्व वन भूमि 0.018 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम डकवा स्थित आरक्षित / संरक्षित वन भूमि कक्ष क्र. PF2727 स्थित 2.081 हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया हैं।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 18 / 08 / 2021 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया ।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता हैं।

5. स्थल निरीक्षक के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत् नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं हैं।

27/8/2021

वन परिक्षेत्राधिकारी	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
राजपुर	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जिला—बलरामपुर	जिला—बलरामपुर—रा.गंज	राजपुर
	जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)	जिला—बलरामपुर—रा.गंज

ग्राम सभा डकवा की बैठक दिनांक 18/08/2021
का कार्यवाही विवरण

ग्राम ग्राम-डकवा
स्थान पंचायत भवन चौकी

दिनांक 18/08/2021

आज दिनांक 18/08/2021 को ग्राम डकवा के सरपंच श्री/श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ---- सदस्य 80% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम डकवा में आवेदक NH-PWD (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु NIL हे0 वन भूमि 2.081 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 0.018 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि रोड निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवस या अन्य परंपारिक गतिविधि नहीं सम्पादित कर रहें हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र0	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
	डकवा	निरंक	0.018 हे0

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ---- हे0 में वन भूमि/ ---- हे0 राजस्व वन भूमि, कुल योग ---- हे0 वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मैसर्स ---- (आवेदक) NH-PWD. को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

टीपः- ग्राम सभा बैठक दिनांक 18/08/2021 के प्रस्ताव क्रमांक-01 में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है। राजस्व वन भूमि खसरा नं. 83/66 रकबा 0.018 अनुमोदित है।

1) जीतू 2) राजाराम
3) चमरू 4) [illegible]
5) जुठन 6) गरीबन

हस्ताक्षर सरपंच
नाम ग्रा.पं.-डकवा, ज.पंचा.-राजपुर जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)
सरपंच
सील

उपस्थित सदस्यगण
क्रमांक नाम हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

7) बालसाय
8) धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
(11) [illegible]
(12) [illegible]
सचिव
ग्रा. पंचा.-डकवा, ज.पंचा.-राजपुर
जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)

[illegible] शंकर

कार्यालय ग्राम पंचायत डकवा जनपद पंचायत राजपुर जिला बलरामपुर
क्रं. 19

दिनांक 18.8.2021

(175)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अम्बिकापुर से रामानुजगंज N.H.343 सड़क निर्माण कार्य किया जाता है। N.H.343 सड़क निर्माण कार्य करने में ग्रा.पं. डकवा के शासकीय भूमि ख.नं. 89/66 रकबा 0.018 एवं कम्पार्टमेंट P.F. 2727 रकबा 2.801 है. भूमि का अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया गया. उपयोग अनुसार N.H.343 सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य में प्रभावित कृषक भूस्वामी को उचित मुआवजा दिया जाये, उसमें ग्रा.पं. डकवा को कोई आपत्ती नहीं है।

सुमित्रा
सरपंच
ग्रा.पंचा.-डकवा ज.पंचा.-राजपुर
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

[signature]
सचिव
ग्रा. पंचा.-डकवा, ज.पंचा.-राजपुर
जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)

प्रपत्र-4 (देखिए नियम-13)

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

ग्राम सभा के कार्यवृत्त अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम .... डूकवा

2. सम्मिलन का स्थान .... पंचायत भवन डूकवा

3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 80

4. सम्मिलन की तारीख 18-6-2021 5. सम्मिलन का समय 12 बजे से

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
		आज दिनांक 18-6-2021 को ग्राम डूकवा के ग्राम पंचायत भवन परिसर में उप जिलाधिकारी (न्या.) के पत्रांक 8/20/वा/अ.लि.अ./2021 दिनांक 17-6-2021 के आदेश अनुसार विशेष ग्राम सभा बैठक आयोजित की गई। ... समस्त ... को चर्चा कर ... प्रस्ताव पारित की गई।
	प्र. उ. वो. NH. P.W.D. 343 सड़क चौड़ीकरण की प्रस्ताव अनापत्ति के सम्बन्ध में।	उपस्थित सदस्यों के समक्ष वन अधि एवं ... सड़क चौड़ीकरण ... पर चर्चा किया गया। जिसमें NH. P.W.D. सड़क चौड़ीकरण किया जाना है जिसमें ... 0.018 हे. प्रभावित हो रहा है एवं ... रकबा 2.081 हे. प्रभावित हो रहा है जिसमें ... वन क्षेत्र है एवं ... मकान ... अतः प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा ... इससे ग्रामवासी आपसी चर्चा कर निर्णय लिया ग्राम पंचायत डूकवा की ग्राम सभा को कोई ... चौड़ीकरण करने में कोई आपत्ती नहीं है।

(हस्ताक्षर) सचिव, ग्राम पंचायत डूकवा

(हस्ताक्षर) अध्यक्ष, ग्राम सभा

स्थान : पंचायत भवन .... तारीख : 18-6-2021

"प्रदर्श–उ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343(110.000किमी.) चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु कुल चांची ग्राम के खसरा नंबर 230/1 (0.055हे0),204/1(0.037हे0),150/20(0.427हे0),150/20(0.256हे0) कुल राजस्व वन भूमि **0.775** हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम चांची स्थित आरक्षित/संरक्षित वन भूमि कक्ष क्र. PF2743,(4.988हे0),RF2754(2.647हे0),RF2735(4.792हे0) स्थित 12.427 हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया हैं।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक **18/08/2021** को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता हैं।

5. स्थल निरीक्षक के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेन्दित भूमि पर निवासरत् नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (c) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचातलित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

वन परिक्षेत्राधिकारी राजपुर जिला–बलरामपुर–रा.गंज वन परिक्षेत्राधिकारी राजपुर	तहसीलदार तहसीलदार राजपुर जिला–बलरामपुर–रा.गंज जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)	अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजपुर जिला–बलरामपुर–रा.गंज

...की बैठक दिनांक 18/08/2021 "प्रपत्र-च"
का कार्यवाही विवरण

ग्राम पंचायत भवन चाँची

दिनांक 18/08/2021

आज दिनांक 18/08/2021 को ग्राम चाँची के सरपंच श्री/श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ——— सदस्य 70% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम चाँची में आवेदक NH-PWD ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु NIL हे0 वन भूमि 4.983 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 0.775 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि रोड निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवस या अन्य परंपारिक गतिविधि नहीं सम्पादित कर रहें हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र0	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
	———	———	———

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ——— हे0 में वन भूमि/ ——— हे0 राजस्व वन भूमि, कुल योग ——— हे0 वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मैसर्स ——— (आवेदक) NH-PWD को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

टीप: ग्राम सभा बैठक दिनांक 18/08/2021 के प्रस्ताव क्रमांक-01 में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है। राजस्व वन भूमि खसरा नं. 230/1, 204/1, 150/20 ओलास्त 150/20 रकबा 0.055, 0.037, 0.427, 0.256 अनुमोदित है।

हस्ताक्षर [signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत-चाँची
नाम ———
जनपद पंचायत-राजपुर
जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)
सरपंच
सील

[signature]
सचिव
ग्रा.पंचा.-चाँची, ज.पंचा.-राजपुर
जिला-बलरामपुर-रा.गंज(छ.ग.)

उपस्थित सदस्यगण

क्रमांक नाम हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(1) महेश
(2) प्रदीप गुप्ता
(3) सुरेन्द्र कुo
(4) [signature]
(5) पतमा
(6) मंगल
(8) - [illegible] नराम
(9) [signature]

क्र/०/ ग्रा०पं० छ०ग०

179

दिनांक -
18/8/2021

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि अम्बिकापुर से रामानुजगंज - N.H - 343 सड़क निर्माण कार्य किया जाना है, N.H - 343 सड़क निर्माण कार्य करने में ग्राम पंचायत चांची में शासकीय भूमि खसरा नं. 230/1 0.055, 204/1 - 0.037, 150/20 - 0.427, 150/20 - 0.256 वन भूमि - PF - 2743 - 4.988 है. भूमि का अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उपरोक्त अनुसार N.H. 343 सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य में प्रभावित कृषक, काश्तकारों को उचित मुआवजा दिया जावे। इसमें ग्राम पंचायत चांची को कोई आपत्ती नहीं है।

सरपंच
ग्राम पंचायत-चांची
जनपद पंचायत-राजपुर
जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ०ग०)

सचिव
ग्रा.पंचा.-चाँची, ज.पंचा.-राजपुर
जिला-बलरामपुर-रा.गंज(छ.ग.)

Scanned with CamScanner

ग्राम सभा के कार्यवाही अभिलेख

: [illegible] ग्राम पंचायत भवन चौंकी

: [illegible] 18/8/2021 : [illegible] 120 [illegible]

: [illegible] 70

आज दिनांक 18/8/2021 को ग्राम पंचायत चौंकी में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी [illegible] राजपुर [illegible] के पत्र क्र. 343 (110.00 कि.मी.) [illegible] /अनापत्ति [illegible] वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत [illegible] वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुमति [illegible] (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 [illegible] प्रस्ताव [illegible] गया है। जिसकी [illegible] जी को [illegible] चुना गया है, [illegible] प्रारंभ की गई।

प्रस्ताव क्र. (1) P.M.G.S.Y. क्र. 343 सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव एवं सहमति के सम्बन्ध में।

उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष यह प्रस्ताव [illegible] कि [illegible] एवं शासन [illegible] राजस्व भूमि [illegible] कब्जों पर [illegible] किया गया है। जिसमें P.M.G.S.Y. क्र. 343 का सड़क चौड़ीकरण किया जाना है। [illegible] राजस्व भूमि [illegible]

राजस्व भूमि - 230/1 - 2.497 0.055, 230/1 [illegible] 0.027, 150/2 - 0.256 वन भूमि [illegible] 2243 - [illegible]

जिसमें ग्राम पंचायत चौंकी के [illegible] कृषि भूमि [illegible] है। अतः प्रभावित किसानों को [illegible] प्रदान किया जाये। इसमें ग्रामवासी [illegible] ग्राम पंचायत चौंकी में [illegible] सड़क चौड़ीकरण [illegible] नहीं है।

सत्यप्रतिलिपि

[signature]

सचिव
ग्रा.पंचा.-चौंकी, ज.पंचा.-राजपुर
जिला-बलरामपुर-रा.गंज(छ.ग.)

स्थान चौंकी
दिनांक 18/8/2021

[signature]

सरपंच

"प्रदर्श–अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343(110.000किमी.) चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वियर्तन हेतु कुल बरियों ग्राम के खसरा नंबर 748/1(0.028हे0),748/2(0.024हे0) कुल राजस्व वन भूमि 0.052 हे0 के वियर्तन हेतु ग्राम बरियों स्थित आरक्षित/संरक्षित वन भूमि कक्ष क्र. PF2724 स्थित 3.36 हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया हैं।

2\. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 27/08/2024 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया ।

3\. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन यावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4\. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता हैं।

5\. स्थल निरीक्षक के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत् नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6\. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

वन परिक्षेत्राधिकारी	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
राजपुर	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जिला–बलरामपुर–रा.गंज	जिला–बलरामपुर–रा.गंज	जिला–बलरामपुर–रा.गंज
वन परिक्षेत्राधिकारी राजपुर	जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)	

182

प्रस्ताव ग्राम सभा बरियों

दिनांक 21/08/2021

आज दिनांक 21/08/2021 को ग्राम (NH) बरियों के सरपंच श्री/श्रीमती मोहित की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ... सदस्य 80% उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गईः-

ग्राम बरियों में आवेदक NH-PWD ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु Nil हे0 वन भूमि 3.36 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 0.052 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि रोड निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवस या अन्य परंपारिक गतिविधि नहीं सम्पादित कर रहें हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है-

क्र0	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
	—	—	—

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि — हे0 में वन भूमि/ — हे0 राजस्व वन भूमि, कुल योग — हे0 वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स — (आवेदक) NH-PWD. को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सचिव
ग्राम पंचायत-बरियों
जनपद पंचायत-राजपुर
जिला-बलरामपुर रामानुजगंज

सरपंच
हस्ताक्षर ग्राम पंचायत-बरियों
नाम
जिला सरपंच
सील

टीप – ग्राम सभा बैठक दिनांक 21/08/2021 के क्रमांक-07 में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है। राजस्व वन भूमि खसरा नं. 748/1, 748/2 रकबा 0.028, 0.024 अनुमोदित है।

उपस्थित सदस्यगण

क्रमांक नाम हस्ताक्षर/अंगुठा निशान

वन समिति अध्यक्ष

(1) शिवकुमार (गोपाल बरियों)
(2) [signature]
(3) Bhaurlis
(4) [signature]
(5) [signature]
(6) मोती मोहन
(7) [signature]
(8) [signature]
(9) कुलाराम
(10) मोहित

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत बरियों ज.पं. राजपुर

क्रमांक / 01/

दिनांक
21.9.2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि अम्बिकापुर से बी. गढ़ N.H-343 सड़क निर्माण कार्य किया जाना है, NH 343 सड़क निर्माण कार्य करने में ग्राम पंचायत बरियों में शासकीय भूमि ख.न. 748/1 रकबा 0.0228 है एवं 748/2 रकबा 0.024 है. शासन भूमि (कोटवारी/बड़े झाड़) के जंगल है जिस पर सड़क चौड़ीकरण कार्य कराने पर ग्राम पंचायत बरियों को किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है।

सचिव
ग्राम पंचायत-बरियों
जनपद पंचायत-राजपुर
जिला-बलरामपुर रा.गंज (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत-बरियों
जनपद पंचायत-राजपुर
जिला-बलरामपुर रा.गंज (छ.ग.)

(नियम-13)

ग्राम सभा

1. ग्राम पंचायत का नाम तारीगी
2. सम्मिलन का स्थान पंचायत भवन तारीगी

ग्राम सभा के

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	
	दिनांक 21/12/2021 को ग्राम सभा आयोजन बाबत /	[illegible]
	प्रस्ताव क्रमांक 01. NHPWD क्रमांक 343 सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव एवं अनापत्ति के सम्बन्ध में /	[illegible]

स्थान : .... तारीख : ....

कार्यवाही पंजी

कार्यवृत्त अभिलेख

3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या ....
4. सम्मिलन की तारीख 21.12.2021 5. सम्मिलन का समय 12 बजे /

सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)

जिला बलरामपुर [illegible] के आदेश क्रमांक [illegible] तारीगी [illegible] दिनांक [illegible] ग्राम सभा का आयोजन [illegible] /1072/ पंचा./ ग्राम सभा/ [illegible] बलरामपुर दिनांक [illegible] बलरामपुर जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का [illegible] तथा [illegible] जनपद पंचायत रामानुजगंज के [illegible] ग्राम सभा/ज.पं./ [illegible] रामानुजगंज दिनांक [illegible] पंचायत तारीगी में दिनांक 21.12.2021 को ग्राम सभा का [illegible] है उक्त सभी आदेशों के परिपालन में आज ग्राम पंचायत तारीगी में ग्राम सभा का आयोजन किया तथा ग्राम सभा अध्यक्ष [illegible] श्री [illegible] राम का नाम [illegible] के लिए [illegible] [illegible] किया गया [illegible] पारित किया गया / एवं एजेंडा अनुसार ग्राम सभा आरम्भ किया गया /

बैठक में ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा गया कि NHPWD के [illegible] का कार्य किया जाना है जिसमें [illegible] (कोटवार) अंकित है जिसका ख. नं. 748/1 एवं 748/2 [illegible] रकबा 0.026, उक्त भूमि में सड़क चौड़ीकरण कार्य कराने पर ग्राम सभा [illegible] का कोई आपत्ति नहीं। [illegible] चौकी का एवं [illegible] बाउंड्री [illegible] उचित मुआवजा राशि प्रदान किया जाये [illegible] पारित किया गया /

सरपंच
ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा

"प्रदर्श–अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343(110.000किमी.) चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु कुल महुआपारा ग्राम के खसरा नंबर 21/1 (0.266हे0) का कुल राजस्व, वन भूमि 0.266 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम महुआपारा स्थित आरक्षित/संरक्षित वन भूमि कक्ष क्र. PF2758 स्थित 3.818 हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया हैं।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 19/08/2021 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया ।

3. वन भूमि के उक्त परियोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का परंपरागत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता हैं।

5. स्थल निरिक्षक के आधार पार यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत् नहीं है।. जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविध विद्यमान नहीं है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
राजपुर
जिला–बलरामपुर–रा.गंज
वन परिक्षेत्राधिकारी राजपुर

तहसीलदार
तहसीलदार राजपुर
जिला–बलरामपुर–रा.गंज
जिला–बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजपुर
जिला–बलरामपुर–रा.गंज
जिला- बलरामपुर (छ.ग.)

188

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

"प्रदर्श–अ"

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343(110.000किमी.) चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु कुल अलखडीहा ग्राम के खसरा नंबर 9/2(0.283हे0),65/63(0.658हे0),127/1(0.61हे0),57/5,57/6(0.005हे0),82/1(0.229 हे0),82/2(0.096हे0) कुल राजस्व वन भूमि 1.881 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम अलखडीहा स्थित आरक्षित/संरक्षित वन भूमि कक्ष क0 PF2823(1.164हे0),PF2824(5.763हे0),PF2806(6.238हे0),PF2807(1.285हे0) स्थित 14.45 हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया हैं।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 21/08/2021 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता हैं।

5. स्थल निरीक्षक के आधार पार यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत् नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

27/8/21

वन परिक्षेत्राधिकारी	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
राजपुर	राजपुर	राजपुर
जिला–बलरामपुर–रा.गंज	जिला–बलरामपुर–रा.गंज	जिला–बलरामपुर–रा.गंज

वन परिक्षेत्राधिकारी राजपुर

तहसीलदार राजपुर जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजपुर

"प्रदर्श–अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक **343(110.000किमी.)** चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु **जामवन्तपुर** ग्राम के खसरा नंबर 257/1(0.013हे0) कुल **राजस्व वन भूमि 0.013** हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम **जामवन्तपुर** स्थित आरक्षित/**संरक्षित** वन भूमि कक्ष क्र. P3424(0.695हे0) स्थित **0.695** हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक **07/12/2020** को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचातलित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

तहसीलदार रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रा.गंज	वन परिक्षेत्राधिकारी रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रा.गंज	अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)